न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 17/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00094

बउनवानी:—ओमप्रकाश पुत्र श्री दुर्गालाल जाति ब्राहमण आयु 45 वर्ष, निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. नाथू लाल पुत्र देवीलाल जाति कोली आयु 60 वर्ष निवासी शिवाड कोली मोहल्ला शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. प्रेम प्रकाश भारती पुत्र श्री फूलचन्द भारती, निवासी टोंक जिला टोंक

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 549 निर्णय दिनांक 27.9.2013 वाके ग्राम शिवाड़ ए तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:— 1. श्री उमाशंकर शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री पवन कुमार जैन — वकील रेस्पो. संख्या 1

3. श्री अब्दुल बहाव — वकील रेस्पो.संख्या 2

—: निर्णय :— **दिनांक 9.12.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 549 निर्णय दिनांक 27.9.2013 वाके ग्राम शिवाड़ ए तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि आराजी खसरा नम्बर 1846 रकबा 3.39 है0 वाके ग्राम शिवाड ए में स्थित है जो चरागाह भूमि है तथा पशुओं के उपयोग मे आने वाली भूमि है। चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार को है तथा उपजिला कलेक्टर को चरागाह भूमि पर किसी को खातेदारी देने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। अदालत मातहत द्वारा चरागाह भूमि का नामा0 रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में खोलना क्षेत्राधिकार के बहार का कार्य है तथा नामा0 इसी आधार पर निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि चरागाह भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार निहित नही हो सकते है तथा राज0 टिनेन्सी एक्ट में वर्जित है। चरागाह भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है तथा अपीलान्ट ग्राम शिवाड़ का मूल निवासी है तथा चरागाह भूमि मे अपीलान्ट का भी हित है तथा अपीलान्ट चरागाह में हित होने से एग्रीवर्ड व्यक्ति की परिभाषा मे आता है। उक्त चरागाह भूमि सामान्य कार्य(कब्रिस्तान) आम जनता बणजारा के काम में आ रही है इस कारण नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 7.1.2016 को पटवार हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने पर उसी दिन नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि उक्त नामा0 उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा मु.न. 119/2011 उनवानी नाथूलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा मे पारित निर्णय दिनांक 27.9.2013 की पालना में दर्ज फैसल किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता को ग्राम शिवाड की आराजी ख0न0 1019/1/2 मे दिनांक

डॉ0 एस0 पी0 सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

21.10.1975 को 5 बीघा भूमि बारानी–3 की भूमि का आवंटन हुआ था जिसपर प्रार्थी को कब्जा दिया गया है तथा आवंटन से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा है किन्तु उक्त भूमि का सेटलमेंट विभाग द्वारा नये ख0न0 1774 रकबा 1.20 है0 बनाये जाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड का अंकन किया गया है परन्तु जिस जगह प्रार्थी काबिज है उस जगह नक्शा ट्रेस में अंकन नही कर दुसरी जगह अंकन किया गया है। प्रार्थी जिस जगह पर आवंटन से अब तक काबिज है उसका वर्तमान ख0न0 1846, 1776 है जबकि सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थी को ख0न0 1774 पर नक्शा ट्रेस मे अंकन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया है जो गलत किया है इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा की गयी गलती की दुरूस्ती है के लिए उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्तानुसार संशोधित किये जाने के आदेश जारी किये जाने पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 549 दिनांक 27.9.2013 को दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। चूंकि उक्त नामा0 न्यायालय के आदेश से दर्ज फैसल किया गया है इसलिए जब तक न्यायालय का आदेश प्रभावी है तब तक आदेश जैर को खारिज किया जाना न्यायोचित नही है यदि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील से आपत्ति है तो पहले उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के आदेश को खारिज करवाना चाहिए। वैसे भी अपीलान्ट का आदेश जैर अपील मे वर्णित आराजी से कोई लेना देना नही है तथा उसका कोई हित उक्त नामा0 से प्रभावित नही हो रहा है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उक्त भूमि साबिक 1019/1/2 रकबा 5 बीघा किस्म चरागाह को गलत तरीके से आवंटित किया गया है तथा उक्त विवादित नामा0 संख्या 549 के द्वारा ख0न0 1774 रकबा 1.20 है0 की भूमि को अपीलान्ट के खाते से चरागाह किया है तथा ख0न0 1846 रकबा 1.20 है0 भूमि चरागाह को विधि विरूद्व तरीके से अपीलान्ट की खातेदारी मे दर्ज किया गया है जिसका अधिकार तहसीलदार चौथ का बरवाडा को नही है। इसके विपरीत वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि आदेश जैर नामा0 संख्या 549 तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 119/11 उनवानी नाथूलाल बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 27.9.2013 की पालना मे विधिवत तरीके से दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश जैर अपील को खारिज करवाने से पूर्व उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.9.2013 को खारिज करवाना चाहिए, उक्त आदेश के प्रभावी रहते आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत है एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 27.9.2013 की पालना मे विवादित नामा0 संख्या 549 दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: